30/5/18

प्रार्थिनी अपने पति के साथ कैम्प कार्यालय में पेश हुई। इसी उनवान से एक अपील निस्तारित की गई थी। अपील निस्तारण होने से इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली लेखाशाखा होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner